उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा), धनबाद ।

–: निविदा की शर्ते :–

1. निविदा के साथ निविदाताओं को आयकर, बिक्रीकर, दूकान निबंधन संख्या, स्वच्छता प्रमाण पत्र की अद्यतन छायाप्रति एवं पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
2. सभी सामग्रियों की आपूर्ति सम्बन्धित विद्यालय, छात्रावास तथा संस्थान में पहुँचाकर करनी होगी जिसके लिये अलग से परिवाहन व्यय या कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा ।
3. सभी सामग्रियों का दर नियमानुसार कर (VAT) के साथ निविदा में दर अंकित करनी होगी ।
4. निविदा के साथ 25,000.00 (पचीस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रुप में जिला कल्याण पदाधिकारी, धनबाद के पद नाम से देना होगा ।
5. आपूर्तिकर्त्ता को आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर सामानों की आपूर्ति सम्बन्धित विद्यालय, छात्रावास एवं संस्थान में पहुँचा कर करनी होगी अन्यथा समय पर आपूर्ति नही करने पर प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जाएगी ।
6. दर निर्धारण के समय सामग्रियों का नमूना लाना अनिवार्य होगा ।
7. किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अघोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

15/1/15

उप विकास आयुक्त,
धनबाद ।

उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा), धनबाद ।

–: निविदा प्रकाशन :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा संचालित कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास तथा विभिन्न योजनाओं के लिये भोजन साामग्री (खाद्य/अखाद्य), पठन–पाठन सामग्री, पोशाक, खेल सामग्री, बर्तन/उपस्कर खेलकुद आदि की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 10.7.15 को 3.00 बजे ~~पूर्वाह्न~~/अपराह्न तक जिला कल्याण कार्यालय, धनबाद में उपलब्ध निविदा पेटी में आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 4.00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी या प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा निविदादाता या उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी । निविदा के साथ सामग्रियों की नमुना भी साथ लाना आवश्यक होगा। आपूर्ति किये जाने वाले भोजन साामग्री (खाद्य/अखाद्य), पठन–पाठन, सामग्री, पोशाक आपूर्ति, खेल सामग्री, बर्तन/उपस्कर कम्प्यूटर कंज्युमेबल स्टेशनरी एवं विज्ञान उपकरण आदि की सूची तथा निविदा की शर्ते झारखण्ड सरकार के वेबसाईट www.jharkhand.gov.in अथवा www.dhanbad.nic.in पर प्राप्त किया जा सकता है।

15/6/15

उप विकास आयुक्त,
धनबाद ।